<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध अपील संख्या : **09/2019**

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह,
निवासी गुरूनानक कोलोनी, बून्दी,
मृतक-डिक्रीदार जरिये कायम मुकाम-
1/1. हरबंस कौर पत्नी स्व. सुरेन्द्र सिंह, आयु 67 वर्ष,
1/2. जसपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, आयु 44 वर्ष,
1/3. राजू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, आयु 47 वर्ष,
निवासीगण म.नं. 114 गुरूनानाक कॉलोनी, जिला बून्दी (राज.)

-अपीलार्थी /डिक्रीदार

<u>बनाम</u>

1. नगर परिषद बून्दी जरिये आयुक्त,
2. नगर परिषद बून्दी जरिये अध्यक्ष,

-प्रत्यर्थी/मदयूनान

<u>तत्कालीन सिविल न्यायाधीश, बून्दी श्री निखिल कुमार नाड द्वारा इजराय प्रकरण संख्या 04/2018 सी.आई.एस.संख्या 04/2018 सुरेन्द्र सिंह बनाम नगर परिषद, बून्दी में दिनांक 10.01.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील</u>।

उपस्थित-
1. श्री दयाकृष्ण विजय, अपीलार्थी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री कमलेश त्रिपाठी, प्रत्यर्थी/मदयूनान के विद्वान अधिवक्ता।

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक 10.03.2026</u>**

1. अपीलार्थी/डिक्रीदार की ओर से यह दीवानी विविध अपील विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बून्दी में प्रस्तुत किये गये इजराय प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.04.2018 में पारित आदेश दिनांक

Authenticated Document

10.01.2019, जिसे विद्वान विचारण द्वारा डिक्रीदार की इजराय का निष्पादन हो जाना मानते हुये इजराय प्रार्थना पत्र को पूर्ण संतुष्टि में फैसल किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/ डिक्रीदार/वादी द्वारा प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2014 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किये कि अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं किया जावे और उनके द्वारा नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इसके क्रम में अपीलार्थी/डिक्रीदार द्वारा दिनांक 26.04.2018 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष डिक्री के निष्पादन के लिऐ आदेश-21 नियम-11 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी/डिक्रीदार ने विवादित भूखण्ड का नियमन कराने हेतु दिनांक 10.11.2014 को प्रत्यर्थी/ मदयूनान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रत्यर्थी/मदयूनान ने राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों व दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत हजारों व्यक्तियों को नियमन कर पट्टे जारी कर दिये, परन्तु अपीलार्थी/ डिक्रीदार के आवेदन पर पट्टा जारी नहीं कर रहे है, इसलिये डिक्री की पालना करवाई जाकर विवादित भूखण्ड का नियमन करवाते हुये पटटा जारी किया जावे।

3. कालान्तर में विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2019 पारित किया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत विविध अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि :-

(1) विद्वान विचारण न्यायालय का चुनौतीग्रस्त निर्णय एवं आदेश वस्तुस्थिति एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

Authenticated Document

(2) अपीलार्थी/डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत नियमन आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2014 पर कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की और न कभी अपीलार्थी /डिक्रीदार को नियमानुसार राशि जमा कराने बाबत कोई नोटिस अथवा सूचना जारी की, जबकि अपीलार्थी/डिक्रीदार नियमन राशि जमा कराने को सदैव तत्पर रहे है, लेकिन वास्तव में नियमन आवेदन पत्र पर नगर परिषद द्वारा विधिवत कोई कार्यवाही नहीं की, अपितु पृथक से नोटशीट चलाकर नगर परिषद भवन दौराने इजराय कुर्क किये जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों से झूंठी रिपोर्ट करवाकर नियमन आवेदन पत्र खारिज करने का आदेश न्यायालय में पेश किया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने नगर परिषद के दस्तावेजों का खण्डनात्मक साक्ष्य पेश किये जाने का अवसर दिये बिना इजराय का निष्पादन हो जाना मानकर चुनौतिग्रस्त निर्णय देकर विधिक भूल की है।

(3) विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2014 तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.10.2014 में अपीलार्थी/ डिक्रीदार का विवादित भूखण्ड पर 30 वर्ष पुराना कब्जा माना गया है तथा उस पर एक कमरा व एक दुकान का निर्माण होने की पुष्टि की गई है तथापि अधीनस्थ न्यायायालय ने प्रत्यर्थी/मदयूनान द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर इजराय का निष्पादन होना पूर्ण मानने का निर्णय दिया है, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है।

(4) विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/डिक्रीदार के नियमन प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त इजराय में नगर परिषद द्वारा अपीलार्थी/डिक्रीदार के नियमन आवेदन पत्र पर नियमानुसर कार्यवाही न किये जाने की अनदेखी करके विधिक भूल की है।

4. अन्त में अपीलार्थी/डिक्रीदार की उक्त अपील स्वीकार की जाकर

Authenticated Document

विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2019 को निरस्त करते हुये विवादित भूखण्ड का नियमन अपीलार्थी/डिक्रीदार के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ही मुख्यतः पुनरावृत्ति करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी/डिक्रीदार के आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2014 पर कोई विधिवत कार्यवाही नहीं की गई, न कभी अपीलार्थी/डिक्रीदार को नियमानुसार राशि जमा कराने बाबत कोई नोटिस अथवा सूचना जारी की गई। उनका कहना है कि वास्तव में पृथक से नोटशीट चलाकर नगर परिषद भवन दौरान इजराय कुर्क किये जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों से झूंठी रिपोर्ट करवाकर नियमन आवेदन पत्र खारिज करने का आदेश न्यायालय में पेश किया है। उनका यह भी कहना रहा है कि अपीलार्थी/डिक्रीदार का विवादित भूखण्ड पर 30 वर्ष पुराना कब्जा है किन्तु फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/मदयूनान द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर इजराय का निष्पादन होना पूर्ण मानने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो निरस्त किया जाकर विवादित भूखण्ड का नियमन अपीलार्थी/ डिक्रीदार के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया। अपने उक्त तर्को के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गयेः-

1. ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1272
   बरकत अली व अन्य बनाम बद्रीनारायण (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
2. ए.आई.आर. 1991 सुप्रीम कोर्ट 2251
   घनश्याम दास गुप्ता व अन्य बनाम अनन्त कुमार सिन्हा व अन्य

Authenticated Document

3. ए.आई.आर. 2018 राजस्थान 85
   श्रीमती विमला जैन व अन्य बनाम श्रीमती निर्मला गौतम राज मेहता व अन्य
4. सिविल अपील नम्बर 2692/1984
   देशबन्धु गुप्ता बनाम एन.एल. आनन्द व रजिन्दर सिंह

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/मदयूनान द्वारा उक्त तर्को का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक विश्लेषण पर आधारित होकर विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं होने से हस्तगत दीवानी विविध अपील खारिज की जावे।

8. उभयपक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। अपीलार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत विविध अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिये निम्न बिन्दु विचारणीय है:-

''आया विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/डिक्रीदार के इजराय आवेदन के क्रम में आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2019 पारित करने में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि कारित की है?''

10. उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2014 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थी/ डिक्रीदार/वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं किया जावे

Authenticated Document

और उनके द्वारा नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी /डिक्रीदार/वादी सुरेन्द्र सिंह की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील संख्या 30/2014 प्रस्तुत की गई, जिसे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.10.2014 के माध्यम से अस्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय दिनांक 15.01.2014 की सम्पुष्टि की गई तथा इसकी द्वितीय अपील किये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई प्रालेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

11. विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2014 के उपरान्त प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादीगण द्वारा अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी को विवादित भूखण्ड से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल किये जाने का तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य/सामग्री से प्रकट नहीं होता है और न ही अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी का अपने इजराय प्रार्थना पत्र एवं अपील याचिका में इस सन्दर्भ में कोई कथन ही रहा है।

12. जहां तक अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी द्वारा विवादित भूखण्ड के सन्दर्भ में नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अवलोकन से यह स्पष्ट रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2019 के माध्यम से यह निष्कर्षित किया है कि डिक्रीदार द्वारा नियमन राशि जमा नहीं कराई गई है और मौका देखने पर सम्बन्धित अधिकारी ने यह पाया कि मौके पर सम्पूर्ण भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है तथा कोई भी निर्माण नहीं हो रहा है एवं प्रकरण में अतिक्रमण नियमन की श्रेणी में नहीं आता है और इस प्रकार प्रत्यर्थी/मदयूनान/ प्रतिवादीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये नियमन के आवेदन को खारिज कर दिया गया। स्वयं अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी द्वारा अपनी अपील याचिका में यह अंकन किया गया है कि प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादीगण ने अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी के

Authenticated Document

प्रार्थना पत्र पर विधिवत कार्यवाही नहीं की और न कभी नियमानुसार राशि जमा कराने बाबत् कोई नोटिस अथवा सूचना दी तथा पृथक से नोटशीट चलाकर नियमन आवेदन पत्र खारिज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा नगर परिषद के दस्तावेजों की खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना इजराय का निष्पादन हो जाना मानकर विधिक भूल की है तो इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2014 को अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं किये जाने के साथ ही उनके द्वारा नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भी आदेशित किया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश से स्वमेव ही यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आवेदन प्रस्तुत होने पर उस पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का ही आदेश पारित किया गया था। प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया अथवा अस्वीकार किया गया, यह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इजराय में अवधार्य प्रश्न नहीं था और न ही इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष ही प्रदान किया जा सकता था किन्तु इस दीवानी विविध अपील याचिका की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि/भूखण्ड पर कब्जे एवं उसके नियमन से सम्बन्धित नगर परिषद, बून्दी द्वारा संधारित की गई पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रहा है कि प्रत्यर्थी/मदयूनान/प्रतिवादी संख्या-1 आयुक्त नगर परिषद, बून्दी द्वारा अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से जरिये पत्रांक 6906 दिनांक 12.01.22 मार्गदर्शन चाहते हुये यह अंकन किया गया है कि 'प्रार्थी भूखण्ड की नियमन राशि जमा कराने को तत्पर है। श्रीमान् का आदेश हो तो उक्त भूखण्ड पर विधिवत सुनवाई करके उसके प्रकरण पर राज्य सरकार

Authenticated Document

के परिपत्र के अनुसरण में नियमन करना सम्भव है।' प्रत्यर्थी/मदयूनान/ प्रतिवादीगण द्वारा अपीलार्थी/डिक्रीदार/वादी को नियमानुसार राशि जमा कराने बाबत् कोई नोटिस अथवा सूचना दिये जाने का तथ्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

13. ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है किन्तु इस न्यायालय की सुविचारित राय में इस प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा उक्तानुसार की गई टिप्पणी से प्रभावित हुये बिना पुनः सुनवाई कर उक्त परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को मामले को रिमाण्ड किये जाने पर ही न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

<u>आ दे श</u>

14. अतः अपीलार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत की गई हस्तगत दीवानी विविध अपील अंशतः स्वीकृत की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बून्दी (राज0) द्वारा इजराय प्रकरण संख्या 04/2018, सी.आई.एस.संख्या 04/2018 बउनवान सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम नगर परिषद, बून्दी में पारित किये गये आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2019 को अपास्त करते हुए, इस प्रकरण को उक्त विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से प्रभावित हुये बिना उक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की पुनः सुनवाई कर नये सिरे से यथाशीघ्र विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.04.2026 को उपस्थित हों।

15. इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली उक्त न्यायालय को अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(संदीप कुमार शर्मा)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document

16. निर्णय आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

THAKUR SINGH

"Authenticate Document"
Digitally signed by THAKUR SINGH
Date: 2026.03.10 17:19:09 +0530

Authenticated Document